

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उड़ीसा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उड़ीसा"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद		110
	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
सरकार के मुख्य सचिव तथा मुख्य विकास आयुक्त	1	—
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1	2
मुख्य प्रशासक (के.बी.के.)	1	2
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1	2
विशेष राहत आयुक्त	1	2
कृषि उत्पादन आयुक्त	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	4	2
मुख्य चुनाव अधिकारी	1	2
अपर विकास आयुक्त तथा सरकार के सचिव, आयोजना और समन्वय विभाग	1	2
आयुक्त, जनजाति और हरिजन कल्याण	1	2
महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वय, गोपाबंधु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर	1	2
राजस्व, प्रभागीय आयुक्त	3	2
आयुक्त, भूमि सुधार	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
आयुक्त, भूमि रिकार्ड और बंदोबस्त	1	2
परिवहन आयुक्त	1	2
राज्यपाल के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
आयुक्त, चकबंदी	1	2
सरकार के आयुक्त-सह-सचिव	14	2
सरकार के विशेष सचिव (जी.ए.डी)	1	2
सरकार के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	16	2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 80(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1	2	3
सचिव, राजस्व बोर्ड	1	2
मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	30	2
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-I/बंदोबस्त अधिकारी/उप निदेशक, चक्रबंदी/महाप्रबंधक, डीआईजी/परियोजना, प्रशासन, आई.टी.डी.ए./परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	11	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
निदेशक, हरिजन एवं जनजाति कल्याण	1	2
निदेशक, पंचायतीराज	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
निदेशक, रोजगार	1	2
पंजीयन, महानिरीक्षक	1	2
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, वस्त्र	1	2
निर्यात संवर्धन एवं विपणन निदेशक	1	2
निदेशक, व समाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, विशेष परियोजनाएं	1	2
कुल	110	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	44	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	27	
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	3	
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्तमद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	18	
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	61	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	141	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	202	

[फा. सं. 11031/2/1997-अ.भा.से. II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 22-10-1955 की का.नि.आ. संख्या 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् विनियमों में संशोधन सिक्किम सर्वांग के संबंध में, निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों के अंतर्गत किए गए :

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक	क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	386	22-3-75	9.	438	03-10-92
2.	574(अ)	08-12-78	10.	85	13-02-93
3.	619	28-04-79	11.	294	12-06-93
4.	770	09-06-79	12.	469	25-09-93
5.	598	27-06-81	13.	319(अ)	31-03-95
6.	776	18-09-82	14.	739(अ)	31-12-97
7.	470	20-06-87	15.	477(अ)	29-06-1999
8.	659	23-11-91	16.	246	22-06-2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause @ of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Orissa, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Orissa" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:

"ORISSA

1. Senior Duty Posts under the State Govt.		110
Name of the Post	No. of posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
Chief Secretary to the Government and Chief Development Commissioner	1	
Member, Board of Revenue	1	2
Chief Administrator (KBK)	1	2
Additional Chief Secretary to Government	1	2
Special Relief Commissioner	1	2
Agriculture Production Commissioner	1	2
Principal Secretary to Government	4	2

1	2	3	1	2	3
Chief Electoral Officer	1	2	Excise Commissioner	1	2
Additional Development Commissioner and Secretary to Government, Planning and Coordination Department	1	2	Labour Commissioner	1	—
Commissioner, Tribal and Harijan Welfare	1	2	Director, Tourism	1	2
Director General, Training Coordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	1	2	Director, Textiles	1	2
Revenue Divisional Commissioner	3	2	Director of Export Promotion & Marketing	1	2
Commissioner, Land Reforms	1	2	Director, Social Welfare	1	2
Commissioner, Commercial Taxes	1	2	Director, Special Projects	1	2
Commissioner, Land Records and Settlement	1	2	TOTAL	110	
Transport Commissioner	1	2	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	44	
Commissioner-cum-Secretary to Governor	1	2	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	27	
Commissioner-cum-Secretary to Chief Minister	1	2	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3	
Commissioner, Consolidation	1	2	5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	18	
Commissioner-cum-Secretary to Government	14	2	6. Posts to be filled by promotion (not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above)	61	
Special Secretary to Government (G.A.D)	1	2	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	141	
Secretary/Additional Secretary/ Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	16	2	Total Authorised Strength	202	
Secretary, Board of Revenue	1	2			
Magistrate and Collector	30	2			
Additional District Magistrate/Sub-Collector Grade-I/Settlement Officer/Deputy Director, Consolidation/General Manager, DIG/Project, Administrator, ITDA/Project Officer, DRDA	11	2			
Registrar, Cooperative Societies	1	2			
Director, Harijan and Tribal Welfare	1	2			
Director, Panchayatiraj	1	2			
Director of Industries	1	2			
Director of Employment	1	2			
Inspector General of Registration	1	2			

[F. No. 11031/2/1997-AIS-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Sikkim Cadre vide the following G.S.R. Nos. and dates:

S1.No.	G.S.R.No.	Date	S1.No.	G.S.R.No.	Date
1.	386	22-3-75	9.	438	03-10-92
2.	574(E)	08-12-78	10.	85	13-02-93
3.	619	28-04-79	11.	294	12-06-93
4.	770	09-06-79	12.	469	25-09-93
5.	598	27-06-81	13.	319(E)	31-03-95
6.	776	18-09-82	14.	739(E)	31-12-97
7.	470	20-06-87	15.	477(E)	29-06-99
8.	659	23-11-91	16.	246	22-06-2000

455 GI/C8-4